



राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,  
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

दूरभाष: 0141-2224878

ई-मेल rmisc.mnjy@gmail.com

एफ04 ( ) एमएनजेवाई/2013

2891

दिनांक 28.06.13

समस्त अधीक्षक, मेडिकल कालेज,  
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,  
राजस्थान।

**विषय:- मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के अन्तर्गत ई.सी.जी. एवं पोर्टेबल एक्स-रे मशीन उपलब्ध कराने बाबत।**

मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के द्वितीय चरण में जैसा की विदित हैं की कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपरोक्त उपकरणों की व्यवस्था में विलम्ब हो रहा है, इस संबंध में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपके अधीन चिकित्सालयों एवं ट्रोमा वार्ड में उपलब्ध अतिरिक्त (Spare) ई.सी.जी. एवं पोर्टेबल एक्स-रे मशीन को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों के द्वारा बताये गये स्थान(सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) के लिए अस्थाई तौर पर नई मशीनों के उपलब्ध होने तक स्थापित (Installation) करवाये। जिससे योजना सुचारु रूप से लागू की जा सके। एक या दो सप्ताह में नये उपकरण प्राप्त होते ही उपरोक्त मशीने आपको वापस लौटा दी जाएंगी।

शासन सचिव एवं मिशन निदेशक  
(एनआरएचएम),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

कमांक: एफ04( )/एमएनजेवाई/13/

दिनांक

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चि0 शिक्षा एवं चि0 स्वा0 विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चि0स्वा0 एवं प0क0 एवं मिशन निदेशक एन.आर.एच.एम.
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.एल. एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, जयपुर।
6. उप सचिव, मेडिकल (ग्रुप-1)।
7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. समस्त अधीक्षक मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
9. परियोजना निदेशक, एनआरएचएम निदेशालय जयपुर।
10. समस्त संयुक्त निदेशक, राजस्थान।
11. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान को भेजकर लेख है कि उपरोक्त चिकित्सा संस्थानों से प्राप्त मशीनों को संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर (Installation) करवा कर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करावे एवं नई मशीने प्राप्त होते ही उपरोक्त मशीनों को पुनः लौटा दी जावे।
12. समस्त प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजस्थान।
13. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र विभागीय वेब साइट पर अपलोड करावे एवं समस्त को ई-मेल करावे।
14. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जिम्न स्वा0)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान, जयपुर